प्रेस विज्ञप्ति

19.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (केएमवीएसटीडीसीएल) के धन के दुरुपयोग और हेराफेरी से संबंधित एक मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, पूर्व मंत्री बी नागेंद्र से संबंधित लगभग 8.07 करोड़ रुपये मूल्य की आवासीय/व्यावसायिक भूमि और भवन सहित चार (4) अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

कर्नाटक पुलिस और बेंगलुरु स्थित सीबीआई एवं बीएस एंड एफबी द्वारा केएमवीएसटीडीसीएल से धन के दुरुपयोग/हेरफेर से संबंधित अपराधों के संबंध में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक और अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इसके तहत बी नागेंद्र सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, बी नागेंद्र सहित 25 आरोपियों/संस्थाओं के खिलाफ 9 सितंबर, 2024 को माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष अभियोग दायर किया गया। माननीय न्यायालय ने विशेष सीसी संख्या 1991/2024 के तहत 5 अक्टूबर, 2024 को इसका संज्ञान लिया।

इससे पहले, पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत दिनांक 26.08.2025 को पीएओ संख्या 22/2025 जारी किया गया था, जिसमें अन्य आरोपियों की लगभग 4.94 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इसके अलावा, बी नागेंद्र द्वारा अर्जित अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। हालांकि, शेष पीओसी का पता नहीं लगाया जा सका और ऐसा प्रतीत होता है कि बी नागेंद्र ने या तो इसे खर्च कर दिया है या छिपा दिया है। इसलिए, ईडी को ऐसी संपत्तियों के रूप में पीओसी के समतुल्य मूल्य को कुर्क करने के लिए विवश होना पड़ा है, अन्यथा पीएमएलए, 2002 के तहत आगे की कार्यवाही बाधित हो सकती है।

उपरोक्त के मद्देनजर, बी नागेंद्र की लगभग 8.07 करोड़ रुपये मूल्य की चार (4) अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जो कि पीओसी के समतुल्य मूल्य के बराबर है।

आगे की जांच जारी है।